Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-9(A)| September 2025

Original Article

भारतीय समाज में लैंगिक असमानता : एक विश्लेषण

डॉ.रवीन्द्र कुमार वर्मा[1], डॉ. अतुल कुमार कनौजिया[2]

[1]असिस्टेंट प्रोफेसर-इतिहास,रमाबाई राजकीय महिला महाविद्यालय,अकबरपुर,अम्बेडकर नगर।

[2]एसो.प्रोफेसर-अंग्रेजी, राजकीय महाविद्यालय,बीकापुर,अयोध्या।

Email- ravigdc81@gmail.com

Manuscript ID:
JRD -2025-170909
ISSN: 2230-9578
Volume 17
Issue 9(A)
Pp.42-47
September 2025
Submitted:22 Aug. 2025
Revised: 3 Sept. 2025
Accepted: 21 Sept. 2025
Published: 30 Sept. 2025

शोधसारांश

लैंगिक असमानता कोई साधारण समस्या नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सामाजिक–आर्थिक चुनौती है जो मानव समाज की प्रगति को जकड़े हुए है। आधी आबादी को यदि समान अधिकार और अवसर नहीं मिलेंगे, तो राष्ट्र कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएगा। इस समस्या की जड़ें सामाजिक मानसिकता, परंपरा और संस्थागत ढाँचों में गहराई से फैली हुई हैं। अतः आवश्यकता है कि हम लैंगिक असमानता को केवल महिलाओं की समस्या न मानें, बल्कि इसे राष्ट्रीय विकास और सामाजिक न्याय से जुड़ा मुद्दा समझें। जब तक पुरुष और महिला दोनों को समान अवसर, सम्मान और अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक सच्चे अर्थों में लोकतंत्र और समानता की स्थापना संभव नहीं है। हमें यह समझना होगा कि लैंगिक समानता केवल न्याय और मानवाधिकारों का प्रश्न नहीं है बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक प्रगति की अनिवार्यता भी है। आज आवश्यकता है कि हम अपनी सोच और व्यवहार में परिवर्तन लाएँ। स्त्रियों को बोझ या पराश्रित न मानकर उन्हें समाज और राष्ट्र की शक्ति के रूप में स्वीकार करें। शिक्षा, रोजगार, राजनीति और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें बराबरी का स्थान देकर ही एक समतामूलक, न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज का निर्माण संभव है। इस आलेख में लैंगिक असमानता के कारणों पर न केवल चर्चा की जाएगी बल्कि इस समस्या का समाधान तलाशने का सार्थक प्रयास भी किया जाएगा।

बीज शब्द– *लैंगिक असमानता, समतामूलक, न्यायपूर्ण, प्रगतिशील, सांस्कृतिक , पितृसत्तात्मक ,लोकतांत्रिक।*

समाज के निर्माण और विकास में स्त्री और पुरुष दोनों की समान भूमिका रही है। किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार और अवसर प्राप्त नहीं हो पाए। यही स्थिति लैंगिक असमानता कहलाती है। लैंगिक असमानता का अर्थ है – स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अवसरों में भेदभाव। यह असमानता न केवल व्यक्तिगत स्तर पर अन्यायपूर्ण है बल्कि यह पूरे समाज की प्रगति और विकास को भी बाधित करती है। लैंगिक असमानता केवल महिलाओं की समस्या नहीं है बल्कि पूरे समाज की प्रगति के मार्ग में बाधा है। जब तक स्त्री और पुरुष दोनों को समान अवसर, अधिकार और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक विकास अधूरा रहेगा। लैंगिक असमानता मानव सभ्यता की सबसे पुरानी और गहरी सामाजिक समस्याओं में से एक है। यह समस्या केवल महिलाओं को प्रभावित नहीं करती, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की प्रगति को अवरुद्ध करती है। जिस समाज में आधी आबादी को हीन समझा जाए और उन्हें समान अधिकार तथा अवसर न दिए जाएँ, वहाँ न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे लोकतांत्रिक मूल्य केवल कागजी घोषणाएँ बनकर रह जाते हैं। इसलिए लैंगिक असमानता का अंत करना न केवल महिलाओं की स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का प्रश्न है, बल्कि यह मानव सभ्यता की समग्र प्रगति की अनिवार्यता भी है।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
डॉ.रवीन्द्र कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर-इतिहास,रमाबाई राजकीय महिला महाविद्यालय,अकबरपुर,अम्बेडकर नगर।

How to cite this article:
वर्मा, . रवीन्द्र . कुमार ., & कनौजिया, . अतुल . कुमार . (2025). भारतीय समाज में लैंगिक असमानता: एक विश्लेषण. Journal of Research and Development, 17(9(A)), 42–47. https://doi.org/10.5281/zenodo.17510084

Quick Response Code:
Website: https://jrdrvb.org/
DOI: 10.5281/zenodo.17510084
OPEN ACCESS

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-9(A)| September 2025

यदि हम इतिहास पर दृष्टिपात करें तो पाएँगे कि स्त्री और पुरुष ने मिलकर सभ्यता को आकार दिया है। फिर भी सामाजिक ढाँचे ने महिलाओं को पुरुषों के अधीन मान लिया और उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया। परिणामस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सीमित हो गई। आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीकी प्रगति के बावजूद यह स्थिति पूरी तरह नहीं बदली। यह विरोधाभास बताता है कि मानसिकता और व्यवहार में सुधार लाना सबसे बड़ी चुनौती है।

समानता एक सुंदर और सुरक्षित समाज की वह नींव है जिस पर विकास रूपी इमारत बनाई जा सकती है।' लैंगिक समानता क्या है? आखिर क्यों यह किसी भी समाज और राष्ट्र के लिये एक आवश्यक तत्त्व बन गया है? क्या बदलते समाज में यह प्रासंगिक है? लैंगिक समानता का अर्थ यह नहीं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक लिंग का हो अपितु लैंगिक समानता का सीधा सा अर्थ समाज में महिला तथा पुरुष के समान अधिकार, दायित्व तथा रोजगार के अवसरों के परिप्रेक्ष्य में है। इसी तथ्य के मद्देनजर सितंबर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में एजेंडा 2030 के अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्यों को रखा गया, जिसे भारत सहित 193 देशों ने स्वीकार किया। इन लक्ष्यों में सतत विकास लक्ष्य – 5 के अंतर्गत लैंगिक समानता के विषय को भी शामिल किया गया है। स्पष्ट है कि हमारे समाज के विकास के लिये लैंगिक समानता अति आवश्यक है। महिला और पुरुष समाज के मूल आधार हैं। समाज में लैंगिक असमानता सोच–समझकर बनाई गई एक खाई है, जिससे समानता के स्तर को प्राप्त करने का सफर बहुत मुश्किल हो जाता है।

लैंगिक असमानता से तात्पर्य

मानव सभ्यता के विकास की लंबी यात्रा में स्त्री और पुरुष दोनों की समान भूमिका रही है। प्राचीन समाज की संरचना से लेकर आधुनिक युग की उन्नत तकनीकी व्यवस्था तक, हर स्तर पर महिलाओं ने अपनी क्षमता और प्रतिभा से योगदान दिया है। फिर भी विडंबना यह है कि इतिहास के अधिकांश हिस्से में महिलाओं को समान अधिकार और अवसर नहीं मिल सके। यह असमानता ही आगे चलकर "लैंगिक असमानता" के रूप में स्थापित हुई।

लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है। वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेद–भाव से पीड़ित होती हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर समाज में प्रचलित है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक– 2020 में भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर रहा। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में लैगिंक भेदभाव की जड़ें कितनी मजबूत और गहरी है।

लैंगिक असमानता का अर्थ है – स्त्री और पुरुष के बीच अधिकारों, अवसरों, संसाधनों और प्रतिष्ठा में किया गया भेदभाव। जब किसी व्यक्ति को केवल उसके लिंग के आधार पर कमतर आँका जाता है या उसके साथ अन्याय होता है, तो यह असमानता कहलाती है। शिक्षा, रोजगार, वेतन, स्वास्थ्य, संपत्ति, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व–लगभग हर क्षेत्र में यह अंतर दिखाई देता है। लैंगिक असमानता के विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र के साथ वैज्ञानिक क्षेत्र, मनोरंजन क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और खेल क्षेत्र प्रमुख हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 'विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएँ' थीम के साथ आयोजित किया गया। यह विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करने का एक बेहतरीन प्रयास है, परंतु लैंगिक असमानता की इस खाई को दूर करने में हमें अभी मीलों चलना होगा।

आज 21वीं सदी में भी, जब विज्ञान और तकनीक ने विश्व को नई ऊँचाइयों तक पहुँचा दिया है, तब भी महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं, राजनीतिक भागीदारी और निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में बराबरी का दर्जा नहीं मिला है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में भी महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है। यद्यपि संवैधानिक स्तर पर समानता की गारंटी दी गई है, परंतु व्यवहारिक स्तर पर भेदभाव की प्रवृत्ति गहराई तक जमी हुई है।

लैंगिक असमानता के कारण और स्वरूप

1.सामाजिक मानसिकता और परंपरा
2.शिक्षा में असमानता
3.आर्थिक असमानता
4.सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपराएँ
5.राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी
6.स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता

भारतीय समाज सदियों से पितृसत्तात्मक रहा है। स्त्रियों को 'परिवार तक सीमित' मानने की मानसिकता ने उन्हें शिक्षा और स्वतंत्र निर्णय लेने के अवसरों से वंचित रखा।ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लड़कियों की शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता। माता–पिता मानते हैं कि शिक्षा में निवेश करना लड़कों के लिए अधिक उपयोगी है क्योंकि वे ही आगे चलकर परिवार चलाएँगे। कामकाजी महिलाओं को भी पुरुषों के समान वेतन नहीं मिलता। कई क्षेत्रों में 'लैंगिक वेतन अंतर' अभी भी विद्यमान है। दहेज प्रथा, बाल विवाह और स्त्रियों की गतिशीलता पर अंकुश लगाने वाली परंपराएँ महिलाओं को स्वतंत्र जीवन जीने से रोकती हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी कम है। पंचायत स्तर पर आरक्षण ने स्थिति सुधारी है, किंतु ऊँचे स्तर पर स्थिति संतोषजनक नहीं है। ग्रामीण भारत में महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी अधिक झेलनी पड़ती है। प्रसवकालीन मृत्यु दर और कुपोषण आज भी एक बड़ी चुनौती है।

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-9(A)| September 2025

लैंगिक असमानता के कुछ महत्त्वपूर्ण परिणाम इस प्रकार है–

1.समाज का असंतुलित विकास
2.आर्थिक पिछड़ापन
3.सामाजिक अन्याय
4.लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास

जब आधी आबादी को समान अवसर नहीं मिलते, तो समाज का संतुलित विकास असंभव हो जाता है।विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार यदि महिलाओं को समान अवसर दिए जाएँ तो देश की जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। महिलाओं की प्रतिभा और श्रम शक्ति का पूरा उपयोग न होना आर्थिक हानि है। लैंगिक असमानता से महिलाओं के साथ भेदभाव, शोषण और हिंसा की घटनाएँ बढ़ती हैं। घरेलू हिंसा, कार्यस्थलों पर उत्पीड़न और बाल विवाह जैसी समस्याएँ इसका प्रत्यक्ष परिणाम हैं। समानता और न्याय जैसे लोकतांत्रिक आदर्श लैंगिक असमानता के कारण खोखले हो जाते हैं।

भारत जैसे लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश में जहाँ "समानता" का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है, वहाँ भी व्यवहारिक स्तर पर स्त्रियाँ पुरुषों से पीछे दिखाई देती हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्टों में बार–बार उल्लेख किया गया है कि लैंगिक असमानता केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की चुनौती है। दुनिया की आधी आबादी को यदि बराबरी के अवसर नहीं मिलते तो न तो न्यायपूर्ण समाज बन सकता है और न ही सतत विकास संभव है।

यद्यपि वैदिक काल में स्त्रियों को सम्मान और शिक्षा के अवसर प्राप्त थे। गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषियों का उल्लेख इसका प्रमाण है। लेकिन समय बीतने के साथ समाज अधिक पितृसत्तात्मक होता गया। मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति और अधिक कमजोर हुई–पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज जैसी कुप्रथाओं ने उन्हें घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम में अवश्य महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सामाजिक मानसिकता इतनी तेजी से नहीं बदली कि उन्हें बराबरी का दर्जा तुरंत प्राप्त हो सके। लैंगिक असमानता केवल शिक्षा व रोजगार में अंतर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक समस्या है। इसका स्वरूप विविध प्रकार से प्रकट होता है–

- बालिकाओं की शिक्षा में भेदभाव
- कार्यस्थलों पर असमान वेतन
- घरेलू हिंसा और उत्पीड़न
- स्वास्थ्य और पोषण में कमी
- संपत्ति पर अधिकार से वंचित करना
- राजनीतिक निर्णय–प्रक्रिया में कम प्रतिनिधित्व

आज 21वीं सदी में जब हम "नारी सशक्तिकरण" और "लैंगिक समानता" की बात करते हैं, तब भी आँकड़े चिंताजनक हैं। विश्व आर्थिक मंच की "ग्लोवल जेंडर रिपोर्ट " के अनुसार लैंगिक समानता हासिल करने में भारत अभी काफी पीछे है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार अवश्य हुए हैं, किंतु आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक सशक्तिकरण में अंतर बहुत बड़ा है।

ग्रामीण भारत में बाल विवाह की घटनाएँ अभी भी होती हैं। बेटियों को पढ़ाने में हिचकिचाहट, रोजगार में असमान अवसर और घरेलू हिंसा जैसी समस्याएँ आम हैं। शहरी क्षेत्रों में भी कार्यस्थलों पर जेण्डर पे गैप व ग्लास सीलिंग जैसी बाधाएँ महिलाओं को समान स्तर तक पहुँचने से रोकती हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने 1979 में CEDAW(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) को अपनाया, जो लैंगिक भेदभाव खत्म करने की वैश्विक प्रतिबद्धता है। 2015 में घोषित सतत विकास लक्ष्य में पाँचवाँ लक्ष्य विशेष रूप से लैंगिक समानता पर केंद्रित है। यह बताता है कि जब तक महिलाओं को समान अवसर नहीं मिलते, तब तक सतत विकास संभव ही नहीं।

भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता का अधिकार सुनिश्चित किया है। अनुच्छेद 39 (क) और (ड) में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि पुरुष और महिला दोनों को समान अवसर और समान वेतन प्राप्त हों। शिक्षा का अधिकार कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न निरोधक अधिनियम, और हाल ही में पारित महिला आरक्षण विधेयक–ये सभी कदम लैंगिक असमानता दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। सरकारी योजनाएँ जैसे "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ", "प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना", "महिला ई–हाट", और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

लैंगिक असमानता के विभिन्न क्षेत्र

सामाजिक क्षेत्र में– भारतीय समाज में प्रायः महिलाओं को घरेलू कार्य के ही अनुकूल माना गया है। घर में महिलाओं का मुख्य कार्य भोजन की व्यवस्था करना और बच्चों के लालन–पालन तक ही सीमित है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि घर में लिये जाने वाले निर्णयों में भी महिलाओं की कोई भूमिका नहीं रहती है। महिलाओं के मुद्दों से संबंधित विभिन्न सामाजिक संगठनों में भी महिलाओं की न्यूनतम संख्या लैंगिक असमानता के विकराल रूप को व्यक्त करती है।

आर्थिक क्षेत्र में– आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत महिला और पुरुष के पारिश्रमिक में अंतर है। औद्योगिक क्षेत्र में प्रायः महिलाओं को पुरुषों के सापेक्ष कम वेतन दिया जाता है। इतना ही नहीं रोजगार के अवसरों में भी पुरुषों को ही प्राथमिकता दी जाती है।

राजनीतिक क्षेत्र में– सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक होते हुए समानता का दावा करते हैं परंतु वे न तो चुनाव में महिलाओं को प्रत्याशी के रूप में टिकट देते हैं और न ही दल के प्रमुख पदों पर उनकी नियुक्ति करते हैं।

विज्ञान के क्षेत्र में– जब हम वैज्ञानिक समुदाय पर ध्यान देते हैं तो यह पाते हैं कि प्रगतिशीलता की विचारधारा पर आधारित इस समुदाय में भी स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता विद्यमान है। वैज्ञानिक समुदाय में या तो महिलाओं का प्रवेश ही मुश्किल से होता है या उन्हें कम महत्त्व के प्रोजेक्ट में लगा दिया जाता है। यह विडंबना ही है कि हम मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय ए. पी.जे अब्दुल कलाम से तो परिचित हैं लेकिन मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस के नाम से परिचित नहीं हैं।
मनोरंजन क्षेत्र में– मनोरंजन के क्षेत्र में अभिनेत्रियों को भी इस भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। अक्सर फिल्मों में अभिनेत्रियों को मुख्य किरदार नहीं समझा जाता और उन्हें पारिश्रमिक भी अभिनेताओं की तुलना में कम मिलता है।
खेल क्षेत्र में– खेलों में मिलने वाली पुरस्कार राशि पुरुष खिलाड़ियों की बजाय महिला खिलाड़ियों को कम मिलती हैं। चाहे कुश्ती हो या क्रिकेट हर खेल में भेदभाव हो रहा है। इसके साथ ही, पुरुषों के खेलों का प्रसारण भी महिलाओं के खेलों से ज्यादा है।

लैंगिक असमानता के कारक

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद वर्तमान भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप में व्याप्त है। इसके कारण महिलाओं को आज भी एक जिम्मेदारी समझा जाता है। महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक रुढ़ियों के कारण विकास के कम अवसर मिलते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। सबरीमाला और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर सामाजिक मतभेद पितृसत्तात्मक मानसिकता को प्रतिबिंबित करता है। भारत में आज भी व्यावहारिक स्तर (वैधानिक स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति पर महिलाओं का समान अधिकार है) पर पारिवारिक संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार प्रचलन में नहीं है इसलिये उनके साथ विभेदकारी व्यवहार किया जाता है। राजनीतिक स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को छोड़कर उच्च वैधानिक संस्थाओं में महिलाओं के लिये किसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

वर्ष 2017–18 के नवीनतम आधिकारिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला श्रम शक्ति और कार्य सहभागिता दर कम है। ऐसी परिस्थितियों में आर्थिक मापदंड पर महिलाओं की आत्मनिर्भरता पुरुषों पर बनी हुई है। देश के लगभग सभी राज्यों में वर्ष 2011–12 की तुलना में वर्ष 2017–18 में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर में गिरावट देखी गई है। इस गिरावट के विपरीत केवल कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों जैसे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दमन–दीव में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर में सुधार हुआ है।

ध्यातब्य है कि महिलाओं के रोजगार की अंडर–रिपोर्टिंग की जाती है अर्थात् महिलाओं द्वारा परिवार के खेतों और उद्यमों पर कार्य करने को तथा घरों के भीतर किये गए अवैतनिक कार्यों को सकल घरेलू उत्पाद में नहीं जोड़ा जाता है। शैक्षिक कारक जैसे मानकों पर महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा कमजोर है। हालाँकि लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में पिछले दो दशकों में वृद्धि हुई है तथा माध्यमिक शिक्षा तक लैंगिक समानता की स्थिति प्राप्त हो रही है लेकिन अभी भी उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का नामांकन पुरुषों की तुलना में काफी कम है।

असमानता को दूर करने के प्रयास–

समाज की मानसिकता में धीरे–धीरे परिवर्तन आ रहा है जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर गंभीरता से विमर्श किया जा रहा है। तीन तलाक, हाजी अली दरगाह में प्रवेश जैसे मुद्दों पर सरकार तथा न्यायालय की सक्रियता के कारण महिलाओं को उनका अधिकार प्रदान किया जा रहा है।

राजनीतिक प्रतिभाग के क्षेत्र में भारत लगातार अच्छा प्रयास कर रहा है इसी के परिणामस्वरुप वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक– 2020 के राजनीतिक सशक्तीकरण और भागीदारी मानक पर अन्य बिंदुओं की अपेक्षा भारत को 18वाँ स्थान प्राप्त हुआ। मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी पहले से बढ़कर 23ः हो गई है तथा इसमें भारत, विश्व में 69वें स्थान पर है।

भारत ने मैक्सिको कार्ययोजना (1975), नैरोबी अग्रदर्शी रणनीतियाँ (1985) और लैगिक समानता तथा विकास एवं शांति पर संयुक्त राष्ट्रा महासभा सत्र द्वारा 21वीं शताब्दीग के लिये अंगीकृत ष्बीजिंग डिक्लरेशन एंड प्लेटिफार्म फॉर एक्शआन को कार्यान्वितत करने के लिये और कार्रवाइयाँ एवं पहलेंष जैसी लैंगिक समानता की वैश्विक पहलों की अभिपुष्टि की है।

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं', 'वन स्टॉप सेंटर योजना', 'महिला हेल्पलाइन योजना' और 'महिला शक्ति केंद्र' जैसी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तीकरण का प्रयास किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप लिंगानुपात और लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में प्रगति देखी जा रही है।

आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु मुद्रा और अन्य महिला केंद्रित योजनाएँ चलाई जा रही हैं।लैंगिक असमानता को दूर करने के लिये कानूनी प्रावधानों के अलावा किसी देश के बजट में महिला सशक्तीकरण तथा शिशु कल्याण के लिये किये जाने वाले धन आवंटन के उल्लेख को जेंडर बजटिंग कहा जाता है। दरअसल जेंडर बजटिंग शब्द विगत दो–तीन दशकों में वैश्विक पटल पर उभरा है। इसके जरिये सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुँचाया जाता है।

लैंगिक असमानता को दूर करने के उपाय

1.शिक्षा का प्रसार
2.आर्थिक सशक्तिकरण
3.राजनीतिक प्रतिनिधित्व
4.कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन
5.सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन
6.स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-9(A)| September 2025

बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" जैसी योजनाएँ तभी सफल होंगी जब समाज की सोच बदलेगी। महिलाओं को स्वरोजगार, उद्यमिता और समान वेतन के अवसर दिए जाएँ। माइक्रोफाइनेंस और स्वयं सहायता समूह इस दिशा में प्रभावी हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33: आरक्षण देने का विधेयक एक ऐतिहासिक कदम है। इससे नीति–निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम और यौन उत्पीड़न विरोधी कानून का कड़ाई से पालन आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण है समाज की सोच को बदलना। परिवार, स्कूल और मीडिया मिलकर यह संदेश दें कि लड़का और लड़की दोनों समान हैं। ग्रामीण और शहरी गरीब महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और पोषण सेवाएँ सुलभ की जाएँ। मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार लाना आवश्यक है। लैंगिक समानता के उद्देश्य को हासिल करना जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन और कार्यालयों में कुछ पोस्टर चिपकाने तक ही सीमित नहीं है। यह मूल रूप से किसी भी समाज के दो सबसे मजबूत संस्थानों – परिवार और धर्म की मान्यताओं को बदलने से संबंधित है।

लैंगिक समानता का सूत्र श्रम सुधारों और सामाजिक सुरक्षा कानूनों से भी जुड़ा है, फिर चाहे कामकाजी महिलाओं के लिये समान वेतन सुनिश्चित करना हो या सुरक्षित नौकरी की गारंटी देना। मातृत्व अवकाश के जो कानून सरकारी क्षेत्र में लागू हैं, उन्हें निजी और असंगठित क्षेत्र में भी सख्ती से लागू करना होगा। जेंडर बजटिंग और समाजिक सुधारों के एकीकृत प्रयास से ही भारत को लैंगिक असमानता के बंधनों से मुक्त किया जा सकता है।

आज की दुनिया में लैंगिक समानता केवल सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि यह आर्थिक विकास से भी सीधे जुड़ी है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्टें स्पष्ट करती हैं कि यदि महिलाओं को समान अवसर दिए जाएँ तो किसी भी देश की उत्पादकता, नवाचार क्षमता और सकल घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है। "नारी शक्ति" का पूरा उपयोग किए बिना हम विकसित राष्ट्र की दिशा में वास्तविक प्रगति नहीं कर सकते।

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य में लैंगिक समानता को प्रमुख उद्देश्य के रूप में रखा गया है। इसका अर्थ यह है कि विश्व स्तर पर भी यह स्वीकार किया जा चुका है कि बिना लैंगिक समानता के सतत और न्यायपूर्ण विकास की कल्पना अधूरी है। भारत ने भी अनेक योजनाओं, नीतियों और कानूनों के माध्यम से इस दिशा में कदम उठाए हैंकृजैसे "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ", महिला आरक्षण विधेयक, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निरोधक कानून आदि। इनसे स्थिति में सुधार हुआ है, किंतु सामाजिक मानसिकता में व्यापक परिवर्तन अभी भी आवश्यक है।

लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिए तीन स्तरों पर ठोस कार्य करना होगा–

1. व्यक्तिगत स्तर –प्रत्येक परिवार को यह समझना होगा कि बेटी और बेटा दोनों समान हैं। घर से ही समानता की शिक्षा शुरू होनी चाहिए।
2. सामाजिक स्तर – समाज में मौजूद कुप्रथाओं जैसे दहेज, बाल विवाह और घरेलू हिंसा को समाप्त करना होगा। मीडिया, साहित्य और शिक्षा व्यवस्था को समानता का संदेश प्रसारित करना चाहिए।
3. संस्थागत स्तर –सरकार और संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीति में महिलाओं को समान अवसर और सुरक्षा मिले।

समानता की राह केवल कानूनी प्रावधानों से नहीं खुलेगी, बल्कि मानसिकता में परिवर्तन से ही वास्तविक क्रांति आएगी। जब पुरुष और महिला दोनों यह स्वीकार करेंगे कि वे एक–दूसरे के पूरक हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं, तभी एक संतुलित समाज का निर्माण होगा। लैंगिक असमानता के उन्मूलन का अर्थ केवल महिलाओं को अधिकार दिलाना नहीं है, बल्कि यह मानवीय मूल्यों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया भी है। समानता, न्याय और स्वतंत्रता जैसे आदर्श तभी सार्थक होंगे जब आधी आबादी को उनका वास्तविक स्थान मिलेगा।उपरोक्त तथ्यों के अनुशीलन से स्पष्ट है कि निम्नांकित बिंदु विचारणीय है –

- लैंगिक असमानता केवल सामाजिक अन्याय नहीं है, यह विकास की सबसे बड़ी बाधा है।
- इसका अंत समाज, राष्ट्र और विश्वकृतीनों के लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- यह केवल महिलाओं की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरी मानवता की जिम्मेदारी है।
- शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक मानसिकता में बदलाव ही वास्तविक समाधान हैं।

लैंगिक असमानता किसी भी समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। यह केवल महिलाओं के अधिकारों का प्रश्न नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और मानवता की मूलभूत अवधारणाओं से जुड़ा हुआ विषय है। जब समाज का आधा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में बराबरी के अवसरों से वंचित रह जाता है, तो उस समाज का विकास कभी संतुलित और स्थायी नहीं हो सकता। भारत जैसे देश में जहाँ संविधान ने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया है, वहाँ भी व्यवहारिक स्तर पर भेदभाव गहराई से मौजूद है। यह स्थिति बताती है कि केवल कानून और नीतियाँ पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि सामाजिक मानसिकता और परंपरागत सोच में परिवर्तन सबसे आवश्यक है। महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण ही वह आधार है, जिस पर लैंगिक समानता की वास्तविक इमारत खड़ी हो सकती है। यदि बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार में समान अवसर और राजनीतिक निर्णय–निर्माण में सक्रिय भागीदारी मिले तो समाज और राष्ट्र दोनों का भविष्य उज्ज्वल होगा।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि लैंगिक समानता स्थापित करना केवल महिलाओं के उत्थान का साधन नहीं है, बल्कि यह पूरे राष्ट्र की प्रगति और मानव सभ्यता के संतुलित विकास की कुंजी है। जब पुरुष और महिला दोनों को समान अवसर और सम्मान मिलेगा, तभी हम एक न्यायपूर्ण, समानतामूलक और प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सकेंगे। यही सच्चे लोकतंत्र और सतत विकास की पहचान होगी। यह प्रयास करें कि आने वाली पीढ़ी को ऐसा समाज मिले जहाँ किसी को भी केवल लिंग के

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-9(A)| September 2025

आधार पर पीछे न रखा जाए, तो निश्चय ही भारत ही नहीं, संपूर्ण मानवता एक न्यायपूर्ण, समानतामूलक और प्रगतिशील भविष्य की ओर बढ़ सकेगी।

सन्दर्भ सूची

1. देसाई व्लास्सोफ कारोल,गरीबी से अमीरी की ओर एक भारतीय गाँव में महिलाओं की स्थिति पर ग्रामीण विकास का प्रभाव,
2. एल्सेवियर साइंस लिमिटेड, 1994।
3. हन्फी,एम.ए,स्त्री शिक्षा, : विनोद पुस्तक भण्डार, आगरा, 2016।
4. गैरी बेकर और अमर्त्य सेन,विकास स्वतंत्रता के रूप में, ओक्सफॉर्ड विश्विद्यालय प्रेस, न्यू यॉर्क, 1999।
5. रानी, उषा, महिला सशक्तिकरण, संजय प्रकाशन, नई दिल्ली, 2016।
6. रामासामी, ई.वी., पेरिवार जाति–व्यवस्था और पितृसत्ता, राधाकृष्णन प्रकाशन, दिल्ली,2020 ।
7. महाजन, धर्मवीर एवं महाजन, कमलेश समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 2018।
8. पाठक, डॉ सुमेधा, लिंग, विद्यालय और समाज, नीलकमल,दिल्ली,1986।
9. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट–2022,
10. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
11. Nath pramanik rathindra, gender Lhequality and women's empowerment, abhijeet publication Delhi, 2006.
12. Economic Review, Ministry of Finance, Government of India.
13. Sharadha Deva "Sexual Harassment of Women at Workplace - A Legal Mayth",
14. Journal of India Education, Vol. - XXXX, No. - 3. Nov. 2014. of Women in India. 1975.
15. Government of India "Towards Equality" Report of the Committee on the Status
16. Padmavati, K. Empowerment of Women. New Delhi: Serials Publication, (2016).
17. Ranjan, AMGNREGA and Women Empowerment. New Delhi: Ocean Books (P) Ltd. (2016).
18. Gupta,S & Gupta,A.Problems of modern Indian Education. Sharda Pustak bhavan, Allahabad: 2016.
19. Mishra,S & Puri, V. Indian Economy,Himalaya Publishing House ,Mumbai: 2018-19
20. https://nss.gov.in
21. https//www.economictimes.com
22. http://www.nsiindia.gov.in
23. https://censusindia.gov.in
24. https://wcd.nic.in
25. https://niti.gov.in